जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

<u>परीक्षा समिति की कार्यवाही</u>

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांकः 31 जनवरी, 2019 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में आहूत परीक्षा समिति की कार्यवाही—

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. प्रो0 योगेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ0 के0 के0 मिश्रा	सदस्य
3. डॉ0 (श्रीमती) रीना सक्सेना	सदस्य
4. डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5. डॉ0 राजीव कुमार	सदस्य
6. डॉ0 दयालानन्द राय	सदस्य
7. राम प्रकाश कुशवाहा	सदस्य
8. डॉ0 राम शरण पाण्डेय	आमंत्रित सदस्य
9. डॉ0 देवेन्द्र सिंह	आमंत्रित सदस्य
10. डॉ0 अशोक कुमार सिंह	आमंत्रित सदस्य
11. श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी	आमंत्रित सदस्य
12. श्री संजय कुमार, कुलसचिव	पदेन सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया। तद्क्रम में कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति के सम्मुख कार्य सूची विचारार्थ प्रस्तुत की गयी जिस पर समिति ने मदवार निम्नाकिंत निर्णय लिये—

मद सं0—1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 16 नवम्बर, 2018 एवं आपात बैठक दिनांकः 25 दिसम्बर, 2018 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से दिनांकः 16 नवम्बर, 2018 व 25 दिसम्बर, 2018 की कार्यवाही को यथावत सम्पुष्ट किया।

मद सं0—2. सत्र 2018—19 के स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाएं दिनांकः 05.मार्च, 2019 से सम्पन्न कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किये गये प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने प्रातः पाली की परीक्षायें 08:30 बजे से 11:30 तक सम्पन्न कराये जाने पर अपनी स्वीकृती के साथ शैक्षिक कैलेण्डर में उल्लिखित तिथि से वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को यथावत अनुमोदित किया।

मद सं0—3. सत्र 2018—19 की वार्षिक परीक्षाओं के संचालन हेतु नोडल केन्द्र, परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र से सम्बद्ध किये जाने वाले महाविद्यालयो के निर्धारण पर विचार।

परीक्षा समिति ने वार्षिक परीक्षाओं के संचालन हेतु नोडल केन्द्र, परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र से सम्बद्ध किये जाने वाले महाविद्यालयों के निर्धारण हेतु परीक्षा समिति की सदस्यों की निम्नांकित समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।

(क) डॉ0 के0 के0 मिश्रा,	संयोजक,
(ख) डॉ0 रामशरण पाण्डेय,	सदस्य
(ग) डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा	सदस्य
(घ) श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी	सदस्य
(ङ.) श्री महेश कुमार उप कुलसचिव	सदस्य सचिव

समिति ने यह भी निर्णय लिया की परीक्षा केन्द्र का निर्धारण उपर्युक्त समिति द्वारा विलम्बतम 10 फरवरी, 2019 तक करते हुए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की भी सहमति अवश्य प्रदान कर ली जायें। नोडल केन्द्रों का निर्धारण वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव द्वारा करते हुए कुलपति जी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

मद सं0—4 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुल 29 महाविद्यालयों से प्राप्त अनुरोध कि उनके महाविद्यालयों को आगामी वार्षिक परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाया जायें पर विचार।

समिति ने उपर्युक्त प्रकरण पर सम्बद्धता के शर्तों के क्रम में सम्यक निर्णय लिये जाने हेतु मद सं0—3 पर गठित समिति को अधिकृत किया।

मद सं0—5 दिनांकः 26 दिसम्बर, 2018 से प्रारम्भ बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित काउन्सिलिग/डायरेक्ट प्रवेश की सूची से इतर 24 बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित 516 अभ्यर्थियों के प्रकरण पर परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांकः 25 दिसम्बर, 2018 द्वारा गठित जॉच समिति की संलग्न संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रकरण में गठित जॉच समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

मद सं0–6. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रामकरण पी0 जी0 कालेज, भीमपुरा नं01, बलिया में सत्र 2018–19 में बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी जो महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में त्रुटिवश पंजीकृत कर दिये गये थे, के प्रकरण पर विचार एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित अनुरोध जिसमें महाविद्यालय द्वारा वसूल किये गये शुल्क को उन्हें वापस किये जान हेतु निर्देश प्रदान किये जाने पर विचार।**

परीक्षा समिति ने प्रकरण की जॉच एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 25 दिसम्बर, 2018 के मद सं0–2 पर गठित निम्नांकित समिति को अधिकृत किया ।

(क) डॉ0 देवेन्द्र सिंह	संयोजक
(ख) श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी	सदस्य
(ग) डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा,	सदस्य
(घ) डॉ0 राजीव कुमार	सदस्य
(ड.) श्री महेश कुमार, उप कुलसचिव	सदस्य सचिव

मद सं0–7. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 02 वी0पी0एड0 महाविद्यालयों से सत्र 2018–19 में प्रवेशित अभ्यर्थियों की अर्हता की जॉच हेतु मागे गये शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों के अप्राप्त होने के फलस्वरूप कारण प्रवेशित अभ्यर्थियों की अर्हता की जाच के अभाव में उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किये जाने पर विचार।**

परीक्षा समिति ने प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु मद सं0–6 पर गठित समिति को अधिकृत करते हुए यह भी निर्णय लिया कि गठित सम्बन्धित महाविद्यालयों को एक और अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर परीक्षा फलघोषित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अपनी संस्तुतियॉं प्रस्तुत करेगी।

मद सं0–8. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के कतिपय छात्रों से इस आशय के प्राप्त अनुरोध कि उनके अंक तालिकाओं पर अन्य किसी छात्र की फोटो गलत अंकित होने के कारण सही फोटो के साथ अंकतालिका मुद्रित कराते हुए उन्हें प्रदान किये जाने के प्रकरण पर विचार।**

परीक्षा समिति ने विस्तृत विचार विर्मश के उपरान्त यह निर्णय लिया कि अंक तालिका संशोधन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही किये जाने से पूर्व निम्नांकित अभिलेख अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(क) आवेदक के आधार/मान्य फोटो आईडी की प्रमाणित प्रति

(ख) रू010 के स्टाम पेपर पर नोटराइज्ड एफडेविट

(ग) 10वीं एव 12वीं कक्षा के अंक पत्र/उपाधि की प्रमाणित प्रति

(घ) सम्बन्धित प्राचार्य की संस्तुति तथा प्रमाणित फोटो

मद सं0–9. किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतसड, रकसा, बलिया एवं फतेहबहादुर सिंह शिवशंकर सिंह महाविद्यालय, ससना बहादुर से प्राप्त अनुरोध जिसमें उनके महाविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रगौरव के अंक, अंकतालिका में अंकित नही है, जबकि छात्र परीक्षा में सम्मलित है के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति ने छात्रहित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दोनो महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की राष्ट्रगौरव की परीक्षा बिना अतिरिक्त शुल्क जमा कराये ही सत्र–2018–19 की वार्षिक परीक्षाओं के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी जायें।

मद सं0–10 शैक्षिक सत्र 2018–19 से प्रथम सेमेस्टर के छात्रों हेतु नवीन पाठ्यक्रम लागू किये जाने के कारण सत्र 2017–18 के कतिपय पाठ्यक्रम/प्रश्न–पत्रों के प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर/श्रेणी सुधार की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नवीन पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्णाक में मूल्यांकित होने के कारण प्राप्ताकों को गतवर्ष के पूर्णाक में समानुपातिक रूप से परिर्वतित किये जाने हेतु परीक्षा समिति की सहमति प्राप्त किये जाने के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति नें प्राप्ताकों को समानुपातिक रूप से परिवर्तित किये जाने हेतु डॉ0 देवेन्द्र सिंह, संयोजक केन्द्रीय मूल्यांकन एवं डॉ0 दयालान्द राय, संयोजक परीक्षाफल प्रकोषठ को अधिकृत किया गया।

मद सं0–11. विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं में सचल–दल/प्रेक्षक/स्टैटीक मजिस्ट्रेट/कक्ष निरिक्षक की रिर्पोट के आधार पर नकल में आरोपित के छात्रों एवं सामूहिक नकल में आरोपित परीक्षा केन्द्रो के दण्ड निर्धारण हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश एवं नियमावली तैयार किये जाने हेतु समिति के गठन पर विचार।

परीक्षा समिति ने नकल एवं सामूहिक नकल के आरोपित मामलो में दण्ड निर्धारण हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश/नियमावली तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।

(क) डॉ0 दयालानन्द राय, संयोजक
(ख) डॉ0 राम शरण पाण्डेय, सदस्य
(ग) डॉ0 राजीव कुमार, सदस्य
(घ) डॉ0 अरविन्द नेत्र पाण्डेय सदस्य
(ड.) श्री महेश कुमार, सदस्य

परीक्षा समिति द्वारा गठित समिति से यह भी अपेक्षा की गयी कि समिति अपनी संस्तुतियां 01 सप्ताह के अन्दर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगीं।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं0–01 परीक्षा समिति ने सत्र 2018–19 की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में महाविद्यालय स्तर पर गठित आन्तरिक सचल दल द्वारा अनुचित साधन प्रयोग में पकडे गये संलग्न सूची के अनुसार कुल 68 परीक्षार्थियों के प्रकरण पर केस टू केस निर्णय लिये जाने हेतु उपर्युक्त मद सं0–11 पर गठित समिति की संस्तुतियों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं0– 02. परीक्षा समिति ने सत्र 2018–19 की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षको की अर्हता एवं न्यूनतम अनुभव के पुर्ननिर्धारण हेतु परीक्षकत्व सम्बन्धी प्रविधानों एवं अन्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान में प्रभावी नियम के आलोक में किये जाने हेतु मद सं0–11 पर गठित समिति को अधिकृत किया गया।

मद सं0–03. परीक्षा समिति ने गणित विषय की परीक्षा में कैलकुलेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु संकायध्यक्ष विज्ञान संकाय तथा संयोजक, अध्ययन परिषद गणित, को अधिकृत किया।

मद सं0–04 परीक्षा समिति ने सत्र 2018–19 की वार्षिक परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रो के निर्धारण से पूर्व यह भी सूनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अनुमोदित एवं कार्यरत प्राचार्य का होना अनिर्वाय है। यदि किन्ही अपरिर्हाय कारणों से परीक्षार्थियों के लिए

नजदीक का परीक्षा केन्द्र को बनाना अनिवार्य हो तो ऐसे महाविद्यालयों में केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगीं तथा अन्य किसी महाविद्यालय से नियुक्त किये जाने वाले केन्द्राध्यक्ष के टी0ए0/डी0ए0 एवं पारिश्रमिक आदि मदों पर होने वाले अनुमानित व्यय हेतु रू0 पचास हजार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा लिया जायें।

मद सं0—05. परीक्षा समिति द्वारा ने द्वितीय एवं चत्तुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिसूचित अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2019 को विस्तरित करते हुए 10 फरवरी, 2019 निर्धारित की गयी। उक्त तिथि के उपरान्त परीक्षा समिति के पूर्व निर्णय के अनुसार रू0500/— प्रति परीक्षार्थी देय होगा।

मद सं0—06. कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति को यह अवगत कराया गया कि शासनादेशानुसार एवं समय—समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा केन्द्रो के परीक्षा कक्षों में स्थापित सी0सी0टी0बी0 कैमरे की मानीटरिंग विश्वविद्यालय स्थिति कंट्रोल रूम से किया जाना है। तत्क्रम में समस्त परीक्षा केन्द्रों पर नेट एवं अबाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अनिर्वाय होगी। परीक्षा समिति ने नकल बिहीन एवं सुचिता पूर्ण परीक्षाओं के संचालन हेतु उक्त व्यवस्था कराये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की तथा यह भी अपेक्षा की कि परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु गठित समिति भी उक्त सुविधा युक्त महाविद्यालयों को प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

31.1.19

(संजय कुमार)
कुलसचिव